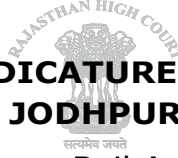




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT  
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3641/2026

Sovan S/o Shri Reshma Ji, Aged About 32 Years, Resident Of  
Gujrai Dedmariya Police Station Kotra , District Udaipur.  
(Presently Lodged In Central Jail Udaipur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

---

|                   |   |                           |
|-------------------|---|---------------------------|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Bharat Shrimali       |
| For Respondent(s) | : | Mr. Hanuman Prajapati, PP |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT**

**Order**

**27/03/2026**

1. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिस थाना **कोटड़ा जिला उदयपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **31/2026**, अपराध अन्तर्गत धारा **8/20 एनडीपीएस एक्ट** के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
2. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
3. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में प्रार्थी-अभियुक्त से गांजे के पौधे जब्त होने का आरोप है, जो धारा 20ए के तहत अपराध है, जो कि धारा 20 के प्रथम भाग के मुताबिक 10 वर्ष व जुर्माना एक लाख रुपये तक की सजा का प्रावधान है, जिसमें धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः इस आधार पर प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।
4. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।
5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में प्रार्थी-अभियुक्त से गांजे के पौधे जब्त होने का आरोप है, जो धारा 20ए



के तहत अपराध है, जो कि धारा 20 के प्रथम भाग के मुताबिक 10 वर्ष व जुर्माना एक लाख रुपये तक की सजा का प्रावधान है, जिसमें धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

6. अतः इस स्टेज पर बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व धारा 20ए के प्रथम भाग को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **सोवन पुत्र रेशमा** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में योग्य अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

**(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J**